**न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नसीराबाद जिला अजमेर**

–––––––

**पीठासीन अधिकारी – श्री नवीन मीणा, आर.जे.एस.**
**(जिला न्यायाधीश संवर्ग).**

फौजदारी जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 67/2026
सी.आई.एस नम्बर – 67/2026
प्रथम सूचना संख्या – 467/2025
पुलिस थाना – नसीराबाद सदर अजमेर ।
अपराध अन्तर्गत धारा : 3/25(1–बी)(ए),5/25(1)(ए) आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधन 2019)

रॉकी नेहरा उर्फ राकेश पुत्र श्री किशनलाल उर्फ कृष्ण लाल नेहरा, उम्र–29 साल, निवासी 26 जीबी हरिपुरा पोस्ट 19 जीबी तहसील श्री विजयनगर ग्राम पंचायत 28 जीबी पुलिस थाना श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक नसीराबाद

**––– अप्रार्थी**

**जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.**

–––––

उपस्थिति:–
1. श्री श्रवण सिंह रावत , विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र चौधरी विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य.

**: आ दे श: दिनांकः– 13–03–2026**

01– प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 467/2025 पुलिस थाना नसीराबाद सदर, जिला अजमेर के अन्तर्गत प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का दिनांक 10–03–2026 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नसीराबाद द्वारा खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। केस डायरी तलब करने पर मय तथ्यात्मक रिपोर्ट के प्राप्त हुई। बहस सुनी गई व पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिर्पोट का

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

02– बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किये है कि प्रार्थी/ अभियुक्त को उक्त प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है तथा वह निर्दोष है । प्रार्थी अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है ना ही उससे किसी प्रकार की बरामदगी है ।प्रकरण में मुख्य आरोपी के कहे अनुसार आरोपी बनाया गया है । प्रकरण से प्रार्थी का किसी प्रकार का लेना देना नहीं है तथा अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर विपरीत प्रभाव पडेगा । प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, प्रार्थी के विरूद्व आरोपित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दण्ड से दंडनीय नहीं है । प्रार्थी उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है तथा जमानत की सूरत में पलायन की कोई संभाावना नहीं है। अंत में आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

03– विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी /अभियुक्त का जमानत आवेदन का कडा विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरूद्व आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया । दौराने बहस उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी /अभियुक्त के खिलाफ निम्नांकित आपराधिक प्रकरण पूर्व में भी लंबित रहा है–

| क्रमांक | अपराधी का नाम | एफआईआर नम्बर | नाम थाना | नतीजा मय दिनांक व धारा | न्यायालय में चालान पेश करने की दिनांक | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | राकेश उर्फ रॉकी नेहरा | 133/2024 दिनांक 19.05.2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट | विजयनगर | सीएस 152/19.08.2025 | | कोर्ट पेण्डिंग |
| -- | -- | 298/25.11.2025 धारा 5/25(1–बी)(ए), 25(6) आर्म्स एक्ट | विजयनगर | सीएस. 03/18.01.2026 | | कोर्ट पेण्डिंग |
| -- | -- | 506/25.11.202 | विजयनगर | | | जैर |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 धारा 3/25(1–बी) (ए), 25(6) आर्म्स एक्ट | | | | तफतीश |

04– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 22.11.2025 को समय 07.53 पी.एम. पर संजीव कुमार सहायक उप निरीक्षक मय जाप्ता मय अनुसंधान बॉक्स लेपटॉप प्रिन्टर के वास्ते गस्त व जुरायम कंट्रोल हेतु रवाना होकर इलाका थाना गश्त करते हुए झड़वासा पुलिया के पास समय करीब 08.25 पी.एम. पर पहुँचे, जहाँ पर मुखबीर खास ने मन सहायक उप निरीक्षक को बताया कि "एक व्यक्ति जिसने उपर ट्रेकसूट पहन रखा है, तथा नीचे नीले रंग की जिन्स पेन्ट पहन रखी है जिसके घुँघराले बाल है, उसने अपने कंधे पर एक काले रंग को बैग लटका रखा है, जो अभी जयपुर जाने वाली रोड़ पर झड़वासा के बस स्टॉप के स्टैण्ड के नीचे बैठा है, जिसके पास अवैध हथियार व कारतुस होने व उससे वारदात करने की फिराक में होने की संभावना है आदि इतला विश्वनीय होने पर झडवासा पुलिया से रवाना होकर जयपुर जाने वाली रोड़ पर स्थित झड़वासा बस स्टॉप पर पहुँचा, जहाँ पर मुताबिक ईतला के एक व्यक्ति काले रंग का बैग कंधों पर लटकाये हुऐ बस स्टॉप के नीचे बैठा हुआ मिला। जिस पर ईतला के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति के पास अवैध हथियार व कारतुस होना संभावित होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कानूनी प्रावधानों की पालना में श्री शंकर कानि0 1915 के मोबाईल फोन से ई–साक्ष्य एप्प पर वीडियोग्राफी शुरू करवाई जाकर बस स्टॉप के बने स्टैण्ड के नीचे बैठे व्यक्ति के पास जाकर घेरा देकर नाम पता पूछा तो अपना नाम पवन कुमार भार्गव पुत्र श्री रूड़ मल भार्गव होना बताया। इस पर मन संजीव कुमार सहायक उप निरीक्षक मय हमराह जाप्ता के पवन कुमार भार्गव को चैक किया तो उक्त व्यक्ति के कंधों पर लटकाये काले रंग के बैग में एक पिस्टल व तीन जिंदा कारतुस मिले। पिस्टल की मैग्जिन चैक किया गया तो मैग्जिन खाली है। जिस पिस्टल व कारतुसों को कब्जे पुलिस लिया जाकर शख्स से अवैध हथियार पिस्टल व जिन्दा कारतूस अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत लाईसेंस मांगा तो शख्स ने किसी प्रकार का लाईसेंस नहीं होना बताया। गिरफतार शुदा अभियुक्त पवन कुमार भार्गव ने उक्त पिस्टल व तीन जिंदा कारतुस अभियुक्त रॉकी उर्फ राकेश नेहरा से खरीदना बताया हैं....आदि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 167/2025 धारा 3/25(1–बी)(ए), 5/25(1)(ए) आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधन 2019)के तहत पंजीबद्व कर अनुसंधान किया जा रहा है ।

05– उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी / अभियुक्त के खिलाफ धारा धारा 3/25(1–बी)(ए), 5/25(1)(ए) आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधन 2019)के तहत के तहत अपराध का आरोप है । प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी या अनुसंधान शेष नहीं है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय अन्वीक्षा में लगने वाले समय के मद्देनजर अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

06– अतः प्रार्थी/अभियुक्त रॉकी नेहरा उर्फ राकेश पुत्र श्री किशनलाल उर्फ कृष्ण लाल नेहरा द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्नुसार स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद 25,000/– रूपये 25,000/–रूपये की दो जमानत (जिनमें से एक जमानती अभियुक्त का निकटतम रिशतेदार हो) एवं 50,000/रूपये का स्वयं का बंधपत्र न्यायालय की संतुष्टीनुसार इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि वह प्रत्येक तारीख पेशी पर नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

**( नवीन मीणा )**
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
नसीराबाद, जिला–अजमेर.

07– आदेश आज दिनांक 13–03–2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

**( नवीन मीणा )**
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
नसीराबाद, जिला–अजमेर.

MANGAL SINGH SHEKHAWAT
Digitally signed by MANGAL SINGH SHEKHAWAT
Date: 2026.03.13 16:06:42 +0530